



भारत सरकार
खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो,

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर

द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)

फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./ई-मेल



सं- CHG/RAP/LST-78/NGP

खान कोड- 38CHG19003

दिनांक:- .10.2023

प्रेषिति-

श्री अजय कपूर, नामित खान मालिक,
मालदी मोपर चुनापथर खान,
सर्वश्री अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड,
एलिगेंट बिजनेस पार्क, अंधेरी कुर्ला
रोड के पास, एम.आई.डी.सी क्रॉस रोड बी,
अंधेरी पूर्व-400059, महाराष्ट्र,
ईमेल-ajay.kapur@adani.com

श्री राजू जोशी, खान एजेंट,
मालदी मोपर चुनापथर खान,
सर्वश्री अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड,
पोस्ट-रावन, तहसील-बलोदा बाज़ार,
जिला- बलोदा बाज़ार, छत्तीसगढ़
ईमेल-rajoo.joshi@adani.com

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के बलोदा बाज़ार जिले में स्थित आपके मालदी मोपर चुनापथर खान 553.656 हैक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं 2021 (MCDR, 2017 as amended) के नियमों के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 20.09.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री राजू जोशी, खान एजेंट की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 (संशोधित) नियमावली के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	<p>The Mining operations required to be carried out in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, Mining operations observed not carried out in your aforesaid mine in accordance with the Review of Mining Plan (RMP) approved dated 30.12.2022 to the extent indicated below:-</p> <ol style="list-style-type: none">No working/excavation is proposed in RMP into the area of 7.5 m (safety zone) within and along the ML boundary; however, it is observed during inspection that, in Main Pit (South block), mining/excavation has been carried out into 7.5 m area (safety zone) along ML boundary between BP No. 27 to 29 and excavation further extended to beyond lease boundary near to BP No.28. Moreover, ML boundary pillars no. 26, 27, 28 & 29 are also not found posted at the site as envisaged in approved RMP.Lateral development of Main Pit (in South Block) observed not carried out as envisaged in RMP. Depth of this pit is proposed to be reached up to 244 to 247 MRL at the end of year 2023-24; the same depth has been already reached as of now. However, lateral expansion of the pit up to gridlines E-609400 to E-609850 and N-2394250 to N-2395200 has not been carried out as proposed. <p>Hence, above are observed to be against the systematic & scientific development of the mine.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं होने पर आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11(2) के अंतर्गत खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियमों का उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से **45** दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001 ।
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो